भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 825807

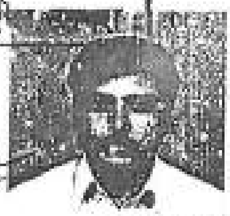

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

- किस्म दस्तावेज - बैनामा
- भूमि का प्रकार- आवासीय
- मोहल्ला / मौजा - श्रीदीप नगर पार्ट प्रथम, मौजा बोदला, तहसील व जिला आगरा
- सम्पत्ति का विवरण- एक किता प्लाट संख्या 100, मिन जुमला खसरा नम्बर 375,
- मापन की इकाई- वर्गमीटर
- सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 175.58 वर्गमीटर
- सम्पत्ति का प्रकार- रिक्त प्लाट
- विक्रीत कीमत - 4,00,000/- रुपया
- सरकारी मालियत - 7,03,000/- रुपया
- सर्किल रेट - 4,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर
- स्टाम्प- 49,210/- रुपया

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 771851

- विक्रीत प्लाट पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हो रहा है जो दो रोड व पार्क के सामने का नहीं है। जिसके अन्तरण से स्टाम्प अधिनियम सन 1899 की धारा 27(1) के प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है तथा नवीन आदेश संख्या 2756 दिनांक 30-06-08 के आदेश के अनुसार प्लाट पुरुष होने के कारण स्टाम्प 7 प्रतिशत से अदा किया गया है। उक्त दर सर्किल रेट लिस्ट उप निबन्धक-2 आगरा के पेज नं० 9 क्रम संख्या 23 पर दर्ज है।

हम कि अभय ठाकुर पुत्र श्री प्रदीप ठाकुर निवासी 59/38बी/1बी, सोना नगर खेरिया मोड़, तहसील व जिला आगरा ------ विक्रेता प्रथमपक्ष

(व)

मैसर्स गोविन्द इन्फ्रा एस्टेट प्रा०लि० कार्यालय बी - 306, केदार नगर, शाहगंज आगरा (कम्पनी अधिनियम सन 1956 के अधीन गठित) पंजीयन संख्या (यू 70102 यू पी 2010 पी टी सी 040419) द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी हरेन्द्र कुमार उप्रेती पुत्र श्री नवल किशोर उप्रेती निवासी 5-ई 12, केदार नगर, शाहगंज आगरा।

आयकर स्थाई लेखा संख्या - ए ए डी सी जी 8295 आर,

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 771852

-3-

जो कि इसकी का प्लाट संख्या 100 तादादी 210 वर्गगज यानि 175.58 वर्गमीटर पैमाईशी पूरब से पश्चिम 30 फुट व उत्तर से दक्षिण 63 फुट मिन जुमला खसरा संख्या 375 वाके श्री दीप नगर, पार्ट प्रथम, मौजा देवलर, तहसील व जिला आगरा कि जो संलग्न नक्शे मे व रंग लाल से साफ, तौर पर जाहिर किया गया है मय जुमला हक हकूक मुतालिका प्लाट हाजा कि जिसकी सीमाये निम्न है-

पूरब- प्लाट संख्या 99,

पश्चिम - प्लाट संख्या 101,

उत्तर- जमीन दीगर।

दक्षिण- सड़क 9 मीटर चौड़ी व निकास प्लाट हाजा।

विदित हो कि उक्त वर्णित प्लाट को प्रथमपक्ष ने बजरिये बैनामा विक्रेता योगेश तिवारी पुत्र श्री गंगाधर तिवारी बहैसियत मुख्तयारेआम मिन जानिब अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल मौसूमा प्रथमपक्ष मुवरिखा 03.10.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय आगरा के यहां बही नं0 1 जिल्द 4061 के सफा 111 से 124 में नम्बर 5956 पर

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 771853

दिनांक 03.10.2005 को विक्रयपत्र द्वारा रजिस्टर्ड हुई है, के तहत खरीद किया और कब्जा व दखल प्राप्त किया। इस प्रकार बाद खरीद के प्रथमपक्ष उक्त वर्णित प्लाट के तन्हा मालिक स्वामी काबिज व दखील चले आते है कि जिसमे सिवाय प्रथमपक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का नही है और जो प्रथमपक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, अमानत, सौदे, दावे, झगडे, इक्यूटेबिल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियो व जिम्मेदारियो आदि से पाक व साफ, है जिसकी जमीन नजूल या राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नही है और नही किसी योजना मे अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है।

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 769126

विदित होवे कि प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित प्लाट का विक्रय करना व मिली कीमत मालूमशुदा मौजूदा व फायदा खुद के स्वीकार है जिसकी द्वितीयपक्ष सबसे अधिककीमत अदा कर रहे है जिससे प्रथमपक्ष का पूरा पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित प्लाट का विक्रय करना द्वितीयपक्ष के हक मे मन्जूर है।

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 507920

अशफाक खाँ
कोषाधिकारी
- 3 JAN 2011
कोषागार, आगरा

-6-

लिहाजा प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के इन्द्रियो की ठीक दशा में उक्त वर्णित प्लाट सं0 100 को साथ तमाम हुकूक व हकूक मालिकाना के व बिना छोडे किसी हक व शै व जुज शै के बिल एवज मुबलिग 4,00,000/- चार लाख रूपया कि आधे जिसके मुबलिग 2,00,000/- दो लाख रूपया होते है बदस्त- मैसर्स गोविन्द इन्फ्रा स्टेट प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी हेमेन्द्र कुमार उप्रेती उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के हक मे मुतलक दायमल सहिहा बैय कतई किया और बेच दिया और जर समन कुल 4,00,000/- चार लाख रूपया प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से बजरिये एकाउन्ट पेई चैक नम्बर 752523 दिनांक 08.01.2011 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा के द्वारा प्राप्त कर लिया है जिसका प्रथमपक्ष इकबाल करते है, इस तरह बाबत कीमत अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नही रहा और न आयंदा होगा।

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 507921

कोषाधिकारी

3 JAN 2011

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत प्लाट पर प्रथमपक्ष ने मानिन्द असल क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को प्लाट मुबेया का पूर्ण रूपेण स्वामी व अधिकारी बना दिया। अब आज की तारीख से प्लाट मुबेया मे प्रथमपक्ष व उनके वारिसान का कुछ हक व हिस्सा किसी प्रकार का बाकी नही रहा और न आयंदा होगा तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत प्लाट से बहैसियत मालिक के चाहे जैसे लाभ उठावे, उसमे निर्माण करावे और अपने उपयोग मे लावे और

Covina Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 507922

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
- 3 JAN 2011
कोषागार, आगरा

द्वितीयपक्ष विक्रीत प्लाट को पक्का करवा रहन बेच व हिबे आदि जो चाहे सो करे और जरिये बैनामा हाजा अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी मे दर्ज करा ले प्रथमपक्ष अपनी सहमति प्रदान करते है।

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 507923

सरफराज खाँ
कोषाधिकारी
3 JAN 2011
कोषागार, आगरा

-5-

यदि भविष्य मे व कोई दावेदार किसी हकदार व हिस्सेदार की से या नुक्स टाईटिल प्रथमपक्ष की से या अन्य वजह से विक्रीत प्लाट कुल या जुज द्वितीयपक्ष से निकल जावे या द्वितीयपक्ष को कोई रकम किसी को अदा या खर्च करनी पडे तो उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी वापिसी जर समन असल कुल या जुज मय रकम अदा शुदा मय हर्जा खर्चा मय सूद कानूनी के व जिम्मे जात खास व जायदाद हर किस्म चल व अचल प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष की है और आयंदा होगी इसमें किसी को कोई एतराज नही होगा।

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Auth[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 701140

शशिपाल सिंह

विदित हो कि उक्त प्लाट से सम्बन्धित समस्त असल कागजात द्वितीयपक्ष के हवाले कर दिये है।

लिहाजा यह बैनामा बहक द्वितीयपक्षकारान के लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। तहरीर तारीख 11.01.2010

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AK 701141

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 DEC 2010

-11-

मसौदा भोले शंकर शर्मा दस्तावेज लेखक टाइप वाई अनिल सदर

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-12-

09AB 048790

तहसील आगरा टाइम अनुसार के फेरे अनुसार तहरीर व तकमील क्या गया है व पक्षों के फोटो की शिनाख्त गवाहान ने की है।

Govind Infra Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

नाम: इमरान खाँ पुत्र श्री [illegible]
निवासी: 23/628, [illegible] आगरा

Imran

नाम: धीरज कुमार पुत्र भगवानदास
निवासी: अर्जुन नगर आगरा

Dheeraj

द० लेखक- प०गोवे शंकर शर्मा
अनु०सं० 38 विधिमान्य 31-3-10-11
स्थान- सदर तहसील आगरा
[illegible] 150/[illegible] द० अनुलेखक

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु

Rs 5000

पाँच ह

FIVE T

RUPEES

कुमार श्रीवास्तव
SEP 2005
कोषी, बांदा

[illegible]

विलेख दस्तावेज - बैनामा।

विक्रीत कीमत - 1,60,000/-रुपया।

स्टाम्प मालियती - [illegible],11,000/-रुपया।

स्टाम्प - 21,100/-रुपया।

मार्केट रेट - 1200/-रुपया प्रति वर्गमीटर।

विक्रीत भूखण्ड पर कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूखण्ड न तो कार्नर का है और न पार्क के सामने स्थित है तथा विक्रीत भूखण्ड चौकसा शिवपुरी रोड से करीब 1 कि0मी0 की दूरी पर अन्दर स्थित है।

योगेश तिवारी

योगेश तिवारी

01-21-10-05

श्रीमान
अजय ठाकुर पुत्र श्री प्रदीप ठाकुर
निवासी — 59/351/1 बी नौबस्ता नगर ...

5000

विक्रय के लिये ...

श्री ...
पेशा ...
निवास ...

विक्रय ...
साक्षय मध्य ... 1 2

दिनांक 3/10/05 विनयापित कर्ता

योगेश तिवारी

उप निबन्धक (द्वितीय)
कानपुर

21/11

कुल ... ने निष्पादन ... उपस्थित ...
... सुनकर ... समझ ...
पूर्ण प्रतिफल की धनराशि मेरे समक्ष पाकर ...
.... स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ... ने की है

उप निबन्धक (द्वितीय)
कानपुर
3-10-05

योगेश तिवारी

नरेन्द्र ...

बायें हाथ ...
अंगूठे के चिन्ह ...

5000RS.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

श्रीवास्तव
2005

-2-

इस कि योगेश तिवारी पुत्र श्री गंगाधर तिवारी निवासी 13 विवेकानन्दपुरम शहर आगरा बहैसियत मुख्तारेआम मिनजानिब अनिल कुमार सहगल पुत्र श्री राज कुमार सहगल निवासी 48 बैंक कॉलोनी न्यूपर हाउस लोहामण्डी शहर आगरा जरिये मुख्तारनामाआम रजिस्टर्ड शुदा दिनांक 22-7-2002ई० जो कार्यालय उप निबन्धक/सब रजिस्ट्रार आगरा में बही नम्बर 4 खण्ड 288 के पृष्ठ 7/12 में क्रम नम्बर 1496 पर दर्ज रजिस्टर्ड हुई है के द्वारा बिक्री विक्रय आदि के समस्त अधिकार कि जो आज तक विधिवत प्राप्त है का हूँ ——— प्रथमपक्ष (विक्रेता)

व

श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री प्रदीप ठाकुर निवासी 59/3डी/1पी० सोना नगर खेरिया मोड़ तहसील व जिला आगरा ——— द्वितीयपक्ष (क्रेता)

योगेश तिवारी

योगेश तिवारी

15

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

-3-

...मार श्रीवास्तव
SEP 2005
...कारी, आगरा

विवरण विक्रीत भूखण्ड :- जो कि एक किता भूखण्ड संख्या 100 व तादादी 210 वर्गगज यानी 175.58 वर्गमीटर पैमायशी पूरब से पश्चिम 30 फीट व उत्तर से दक्षिण 63 फीट यानी अनाम दीप नगर पार्ट प्रथम मौजा बोदला तहसील व जिला आगरा जो साथ संलग्न नक्शे में व रंग लाल से जाहिर किया गया है जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-

पूरब - भूखण्ड संख्या 99.

पश्चिम - भूखण्ड संख्या 101.

उत्तर - जमीन दीगर ।

दक्षिण - रास्ता 30 फीट चौड़ा ।

विदित हो कि उपरोक्त भूखण्ड को श्री अनिल कुमार सहगल कि जिनका मै प्रथम पक्ष मुख्तारेआम हूं ने जरिये बैनामा रजिस्टर्डशुदा नविश्ता श्री दीपनगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 आगरा से दिनांक 8-3-82ई. जो निबन्धित कार्यालय सब रजिस्ट्रार आगरामे बहीनम्बर एक जिल्द 2761 के पृष्ठ 182 व एडीशनल बहीनम्बर एक जिल्द 2790 के पृष्ठ 158/161 मे व नम्बर 6040 पर दिनांक 27-11-1982ई को रजिस्टर्ड हुआ है के खरीद कियाहै और बाद खरीदारी के नामबुर्दा तनहा मालिक काबिज व दाखिल चले आते है अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का प्लाट विक्रीत मे नहीं है कि जो आगे किसी प्रकार के इन्तकाल वगैराका होवे। और विक्रीत भूखण्ड आज तक हर प्रकारके दावे व झगडे व रहन व विक्रय व

योगेश तिवारी

योगेश तिवारी

...00Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

अमित कुमार श्रीवास्तव
26 SEP 2005
कोषाधिकारी, आगरा

तरह के मुआहिदा बैय व एक्युजीशन व एक्यूटेबिल मौरगेज व समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों से पाक मुक्त व स्वच्छ है और न किसी व्यक्ति के हक में कोई इकरारनामा तहरीर व जुबानी लिखा है अब मुझ प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड का विक्रय करना वास्ते जरूरत व मिलने माकूल कीमत के स्वीकार है और द्वितीयपक्ष एक माकूल व सर्वाधिक कीमत अदा कर क्रय करने को रजामंद है जिसमे सरासर फायदा है लिहाजा मुझ प्रथम पक्ष बहैसियत मुख्तारेआम के अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिला बहकावे बसिखावे बगैर किसी दबाव नाजायज के स्वस्थ्य मन चित्त मन बुद्धि व इन्द्रिय के भूखण्ड संख्या 100 व तादाद 210 वर्गगज को मय सुखाधिकार के व एवज मुबलिग 1,80,000/-एक लाख अस्सी हजार रूपया कि आधे जिसके मुबलिग 90,000/-नब्बे हजार रूपयाहोते है मे बदस्त श्री अजय ठाकुर पुत्र श्री प्रदीप ठाकुर निवासी 59/3डी/1बी सोना नगर खेरियामोड तहसील व जिला आगरा क्रेता द्वितीयपक्ष उक्त को विक्रय कतई किया और बैय किया। और कीमत का कुल धन 1,80,000/-रूपया मुझ प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष से इस प्रकार वसूल पा लिया कि मुबलिग 30,000/-रूपया नगद पेश्तर बतौर पेशगी प्राप्त कर लिया बकिया धन मुबलिग 1,50,000/-रूपया नगद बर वक्त बैनामा समक्ष श्रीमान उप रजिस्ट्रार महोदयआगराके प्राप्तकर लियाहै इस प्रकार कीमत मजकूर मे से द्वितीयपक्ष क्रेतासे कुछभी पानाबाकीनहीं रहाऔर न आयंदा

योगेश तिवारी

योगेश तिवारी

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. | Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1 SEP 200[illegible]

होगा लिहाजा कब्जा बदस्तूर उक्त भूखण्डपर क्रेता उक्त का करा दिया व मालिक मुस्तकिल बना दिया अब क्रेता द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह विक्रित भूखण्डसे वहैसियत मालिक चाहे जिस तरह लाभान्वित होवे व फायदा उठावे व निर्माण करावे व रहन व बैय व हिबा वगैरा व जो चाहे सो करे कुछउजर न होगा बाद तकमील बैनामा हाजा क्रेता द्वितीयपक्ष अपने नाम का नामाकन सम्बन्धित दफ्तरान मे बजरिये बैनामा हाजा के दर्ज करावे जिसमे प्रथम पक्ष की पूर्ण सहमति बरजामंदी है बाद तकमील बैनामा हाजा कोई कौमी खानदानी वारिसानयाकोईव्यक्ति किसी प्रकारका किफायतदारपैदाहोकर प्लाट मजकूरमे अपना हक व हिस्सा जाहिरवाशाबित करे याक्रेता द्वितीयपक्ष से झगडा झंझट करे जिसकी वजह से या किसी दीगर वजह से प्लाट मजकूर का कुल याजुज हिस्सा क्रेतासे निकल जावे या किसी को कुछ भी रुपया अदाकरनापडे तो उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी नामवर्दाउपरोक्त की होगी ऐसीतमाम सूरतो मे क्रेता द्वितीयपक्ष को यह हक लाजिमी होगा कि वह अपनी लागत का कुल रुपया मयसूद खर्चा व खर्चा के नामवर्दा व वारिसान उनके की जात खास व जायदाद चल वअचल हर किस्म से वसूल कर ले कुछउजर न होगा। भूखंड मजकूर किसी नजूल एवं राजकीयआस्थानकी सम्पत्ति नहीं है।

योगेश तिवारी

योगेश तिवारी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.   Rs 100

भारत

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-6-

630683

डी० बालीराम
मुख्य कोषाधिकारी
19 SEP 2006
कोषागार, आगरा

लिहाजा यह बैनामा बाद पढ़ने व समझने कुल मजमून के लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे तहरीर तारीख 3-10-2005ई0 व मसौदा लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा वसीका नवीस सदर त0 जि0 आगरा व टाइपकर्ता राम प्रकाश परमार सदर तहसील आगरा।

परमशिव तिवारी   गोपाल तिवारी

गवाह :- महेन्द्र ... पुत्र श्री ...
नि0 मोहम्मदपुर सिकन्दरा आगरा।

गवाह :- ... अग्रवाल पुत्र श्री ...
नि0 - ... पुरी सिकन्दरा आगरा।

(टि0 9/10/3/5 ...)

लेखक का नाम-लक्ष्मण प्रसाद
लाईसेन्स नं० 59 दि०.. तिथि 31-3-2006
स्थान-सदर तहसील, आगरा
लेखन शुल्क 250/- हस्ताक्षर

TE PLAN OF PLOT No. 100. SITUATED AT
EP NAGAR, MAUZA - BODLA — AGRA.
LLER- SHRI YOGESH TIWARI-
S/O SHRI GANGA DHAR TIWARI (P.A.H.)
RCHASER - SHRI AJAY THAKUR.
S/O SHRI PRADEEP THAKUR
AREA = 210 SQ.YARDS
175.58 SQ. MTRS.

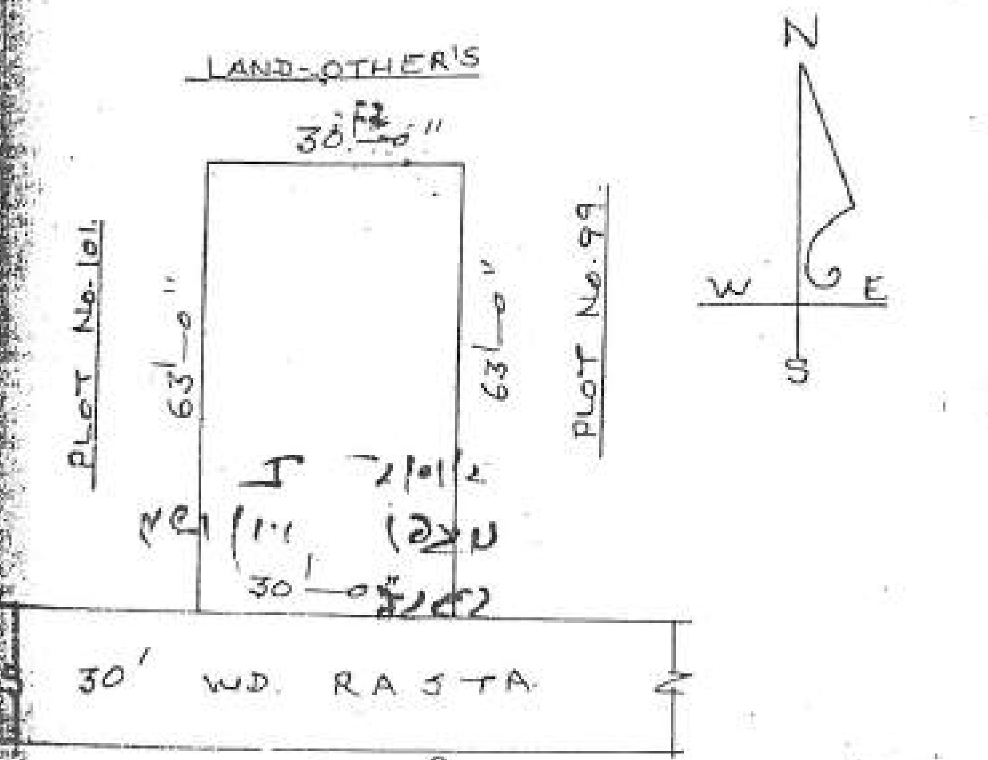

...Designer
... Estimator
... Singh Ekori Road-Agra

1476

20 Rs.

। ओ३म ।

(अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा आम)

मैं कि अनिल कुमार सहगल पुत्र श्री राज कुमार सहगल निवासी ८८ बैंक कालोनी [illegible] लोहा मण्डी शहर आगरा का हूँ ।

जो कि एक किता प्लाट संख्या १०० क्षेत्रफल २१० वर्ग गज पैमाइशी आजिब पूरब ६२ फीट व आजिब पश्चिम ६२ फीट । आजिब उत्तर ३० फीट व आजिब दक्षिण ३० फीट वाके मौजा [illegible] मजदूर [illegible] नगर पार्ट-१ तहसील व जिला आगरा जिसकी चहद्दी इस प्रकार है :-

पूरब: प्लाट नम्बर ९९ ।

पश्चिम: प्लाट नम्बर १०१ ।

उत्तर : अन्य [illegible] ।

दक्षिण : रास्ता ३० फिट चौड़ा ।

जो कि उक्त प्लाट मिन मुकिर मैं [illegible] बैनामा [illegible] दीप नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि० आगरा मुवरखा ८।३।८२ व मुशाहिका २७।११।८२ जिसकी रजिस्ट्री बही नं० १ जिल्द २०८१ के पृष्ठ १८२ सी०नं० ६८४० पर बदरजिस्टर सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है खरीद की और तारीख खरीदारी मन्जूर से आज तक मैं मुकिर ही उक्त प्लाट का तनहा मालिक काबिज व दखील चला आता हूँ अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार नहीं है और उक्त प्लाट आज तक हर तौर पर बलाई पाक व साफ है । और इस समय मैं

योगेश तिवारी

20 Rs.

बीस रुपये

भारत INDIA

२० रु. TWENTY RUPEES 20 Rs

चूंकि अपने अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण उक्त मुकदमे की देखभाल व उसकी देख रेख करने में असमर्थ हूं इसलिये मैं चूंकि खूब सोच समझ कर बिला बहकाये [illegible] आये बिला दबाव किसी नाबालिग के उक्त मुकदमे की बाबत अपनी विश्वास पात्र [illegible] तिवारी पुत्र [illegible] गंगाधर तिवारी निवासी [illegible] निवेदननगर [illegible] आगरा को अपना मुख्तारे आम मुकर्रर करके अधिकार देता और लिख देता हूं कि मुख्तारे आम मौसूफ उक्त मुकदमे की बाबत स्वयं अपने हस्ताक्षरों से दस्तावेजात इकरार नामा व बैनामा वगैरा तहरीर व तस्दीक करके श्रीमान सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत करें और श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब कार्यालय में इकबाल वगैरा करें और अगर उक्त मुकदमे की बाबत कोई मुकदमात वगैरा मेरी जानिब से औरों के नाम से व औरों की जानिब से मेरे नाम से चल रहा हो या आइन्दा चलाना पड़े तो उन कुल मुकदमात को मुख्तारे आम मौसूफ बजरिये एडवोकेट व बैरिस्टर व वकील व मुख्तार खास मुकर्रर करके पैरवी करें और जहां कहीं भी [illegible] उठाने व दस्तखत वगैरा की जरूरत हो वहां वहां पर मुख्तारे आम मौसूफ मिनजानिब मेरे खुद करें और किसी भी सबब से राजीनामा वगैरा करें करें बयानात वगैरा कलमबन्द करें दखल देवें व वापिस लें मुख्तार आम मौसूफ को उक्त मुकदमे की बाबत कुल्ल अख्त्यारात इस्तगासिया व मुदाफिली हासिल है।

मुख्तार आम मौसूफ को उक्त मुकदमे की बाबत किसी भी विभाग में कार्यवाही करनी होगी तो उनको अधिकार होगा उन कुल्ल कार्यवाहियों को मुख्तार आम मिनजानिब मेरे खुद करें। मुख्तार आम मौसूफ द्वारा किया हुआ कुल्ल कार्य मुझको अपने किये समान कबूल व मंजूर होगा [illegible]।

10Rs.

दस रुपये

INDIA

TEN RUPEES

10Rs

।३।

लिहाजा यह परिवर्तनीय मुख्तारनामा आम लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे । तहरीर तारीख २२।७।२००२ ई० ब मसौदा राजेन्द्र कुमार जैन दस्तावेज लेखक तहसील सदर आगरा टाइप थाई श्रीरामशर्मा वकील आगरा ।

साक्षी

पुत्र श्री

निवासी

हस्ताक्षर

साक्षी

पुत्र श्री

निवास

हस्ताक्षर

81/111

सलाहकार क्र० 36

हस्ताक्षर

द० लेखक

[illegible] दिनांक [illegible] उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1965 के आधीन गठित श्री दीप नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड आगरा [illegible] संख्या 2202/22-9-81 [जिसको आगे समिति कहा गया है] द्वारा, श्री/श्रीमती/ [illegible] [illegible] निवास स्थान [illegible] कालोनी [illegible] आगरा
[जिसे आगे सदस्य कहा गया है] के पक्ष में [illegible] हुआ।

[illegible] समिति ने [illegible] भूमि अपने सदस्यों को आवासीय [illegible] भूखण्ड वितरण हेतु विभिन्न [illegible] में [illegible] समिति के [illegible] भूखण्डों में विभाजित कर, उसका विन्यास मानचित्र नियत कारी विनियमित क्षेत्र, आगरा विकास प्राधिकरण [illegible] हेतु [illegible] है तथा समिति ने [illegible] विकसित भूखण्ड संख्या [illegible] क्षेत्रफल [illegible] जिसका विवरण संलग्न नक्शे पर लाल रंग से दर्शाया गया है तथा उक्त सदस्य [illegible] भूखण्ड के निर्धारित मूल्य [illegible] रुपये [illegible] शब्दों में [illegible] [illegible] गई है।

चूँकि यह समिति उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 [illegible] अधिनियम संख्या 11, 1966] की धारा 8 की उपधारा [1] के अधीन [illegible] [illegible] नगरीय सम्पत्ति सीमा [illegible] अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियत अधिकारी के द्वारा संक्रमण करने की अनुमति [illegible] समिति [illegible] करने में सक्षम है।

अतएव एतद् द्वारा समिति उक्त भूखण्ड जिसका [illegible] विवरण [illegible] परिशिष्ट में दिया हुआ है, समिति की उपविधियों के अधीन, उक्त सदस्य को संक्रमित करती है एवं स्वामित्व प्रदान करती है तथा उक्त सदस्य समिति के साथ यह प्रसंविदा करता है।

[1] यह कि प्रविष्ट भूखण्ड आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रयोग में लिया जा सकेगा।

[2] यह कि उक्त भूखण्ड पर [illegible] भवन के [illegible] समिति की प्रबन्ध कमेटी के माध्यम से आगरा विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र आगरा [illegible] मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण कार्य तीन वर्ष की अधिकतम अवधि में पूर्ण कराना होगा।

[3] यह कि भूखण्ड को समिति की प्रबन्ध कमेटी की पूर्व अनुमति के बिना न तो विक्रय एवं [illegible] किया जा सकेगा और न बंधक ही रखा जा सकेगा परन्तु उक्त भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने को उक्त भूखण्ड को बंधक रखा जा सकेगा।

[4] यह कि समिति ने अविकसित भूखण्ड के मूल्य निर्धारण भूमि का [illegible] मूल्य प्राप्त कर लिया है एवं आन्तरिक विकास व्यय जिसमें सड़कों, सीवर लाइन, पानी की लाइन, पार्क एवं नालो के [illegible] है, का मूल्य शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त विकास कार्य में अन्य व्यय होता है तो सदस्य को भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से समिति के [illegible] के 30 दिन के अन्दर समिति अथवा विकास प्राधिकरण में जमा करना होगा।

[5] यह कि यदि भूखण्ड [illegible] पर क्षेत्रफल में कम अथवा अधिक होता है तो उसका मूल्य दोनों पक्षों को यथानुसार देय होगा।

[6] यह कि समिति की उपविधियों में उल्लिखित सभी [illegible] मान्य होंगे। इनमें समय-समय प्रकाशित एवं संशोधन भी सम्मिलित है।

[7] यह कि सदस्य सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ही सड़क, पार्क, सीवर आदि का उपयोग करेगा तथा निर्माण के समय नाली आदि का ध्यान रखते हुये भवन का निर्माण करायेगा ताकि अन्य सदस्य को असुविधा न हो।

[8] यह कि सदस्य को भूमि क्षेत्रफल के अनुपात से सरकारी लगान आदि [illegible] देना होगा।

इसके साक्ष्य में समिति की ओर अधिकृत श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] दीपचन्द [illegible] उक्त समिति एवं श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] सदस्य ने उपरोक्त दिनांक को हस्ताक्षर किए।

साक्षी –

1. ....
पुत्र श्री ....
निवास स्थान ....
....

2. ....
पुत्र श्री ....
निवास स्थान ....
....

सदस्य ....

सचिव ....
श्री [illegible] सचिव [illegible] निर्माण समिति लि०
श्री दीप नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, [illegible] रोड, आगरा।

परिशिष्ट

(एतद् द्वारा प्रदिष्ट की गई भूमि का विवरण)

भूखण्ड संख्या 100 ... अक्षरों में [illegible]

क्षेत्रफल 210 वर्गगज ... अक्षरों में [illegible]

स्थान मौजा बोदला ([illegible]) [illegible] आगरा

स्थिति :— श्री दीपनगर परिसर

सीमायें :—

उत्तर जमीन [illegible]

दक्षिण सड़क 30 फीट

पूर्व प्लॉट 99

पश्चिम प्लॉट 101

माप :—

उत्तर [illegible]

दक्षिण [illegible]

पूर्व 67

पश्चिम [illegible]

साक्षी :—

१. आर० सी० पाठक एडवोकेट

पुत्र श्री ओ० एन० पाठक

निवास स्थान [illegible] आगरा

२. विनोद कुमार

पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण

निवास स्थान [illegible] आगरा

अभ्यर्थी ... सचिव ... सदस्य ...

श्री दीप नगर—सहकारी गृह निर्माण समिति, १०, बोदला रोड, आगरा।

(सत्य प्रतिलिपि)

श्री दीपनगर सहकारी गृह [illegible] समिति [illegible]

सचिव

X विक्रय पत्र [illegible] रुपये [illegible] 16000/- अनु-
रुद्रवीर सिंह [illegible] पुत्र श्री दीप चन्द जाति [illegible] पेशा व्यापार निवासी जयपुर हाउस
आगरा ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार आगरा में आज दिनांक 8.3.82 समय
12 बजे दिन को प्रस्तुत किया [illegible] Sd/- Tej Bahadur (Sub-Registrar) 8.3.82.
[illegible] आगरा श्री A. Singh [illegible] लेखपत्र की [illegible] तकमील
की तथा [illegible] [illegible] पाना स्वीकार
रुद्रवीर सिंह [illegible] नगर [illegible] निवासी
[illegible] आगरा [illegible] मुख्तार
म० 49 [illegible] कालोनी जयपुर हाउस आगरा के [illegible] किया। शिनाख्त श्री
[illegible] आगरा और [illegible] कुमार पुत्र [illegible] नारायन
पेशा नौकरी निवासी लोहामण्डी आगरा ने की। Sd/- Tej Bahadur S.R. Sd/- 8.3.82
A. Singh (कं) Sd/- A. Sehgal (कं) Sd/- R.C. Pathak [illegible] विनोद कुमार
(कं) साक्षी [illegible] प्रतीत होते हैं [illegible] Sd/- Tej -
Bahadur 8.3.82. सब रजिस्ट्रार आगरा [illegible] पृष्ठ 185 [illegible] नम्बर
[illegible] पृष्ठ 15 [illegible]
6840 पर [illegible] आज दिनांक 27.11.1982 को [illegible] की गयी। Sd/- Tej
Bahadur S.R.

Copied by Rekha Arora.
Compared by - [illegible]

True Copy
[illegible signature]
S.R.

A-2